

कार्यालय, नगर परिषद, दुमका।


पत्रांक 992/डी.एन.पी. दुमका, दिनांक 07/06/18

अति अल्पकालिन Re Expression Of Interest No. 02/18-19

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि नगर परिषद, दुमका के निम्नांकित वार्ड सं० की साफ-सफाई का कार्य किसी व्यक्ति/फर्म/स्वयंसेवी संस्था से कराने के लिए Re Expression Of Interest दिनांक 15/06/2018 तक (2.00 बजे अपराह्न तक) बन्द लिफाफा में आमंत्रित किया जाता है। उसी दिन 3.00 बजे अपराह्न में लिफाफा को खोला जाएगा। निविदा राशि 5,000/- (पांच हजार) रुपये का डी०डी० जो वापस नहीं होगा कार्यपालक पदाधिकारी, दुमका नगर परिषद के पदनाम से संलग्न करना होगा। दिनांक 18/06/2018 को दरवार्ता कर निविदा निष्पादित की जायेगी और कार्यादेश निर्गत किया जायेगा।

क्र०	गुप सं०	वार्ड सं०	न्यूनतम मजदूरों की विवरणी -सह- सफाई उपकरण सहित।
01	01	01,02	05 मजदूर (झाड़ू- 03, नाली सफाई- 02), 01 ठेला (मजदूर सहित), 01 ट्रैक्टर (मजदूर सहित), एवं सफाई उपकरण (मजदूर सहित), प्रति वार्ड
02	03	07,08	तथैव
03	05	11,12	तथैव


निविदा की शर्तें कार्यालय के सूचना पट्ट पर कार्यालय अवधि में तथा विभागीय वेबसाइट - www.udhd.jharkhand.gov.in/tender पर देखा जा सकता है।


कार्यपालक पदाधिकारी,
नगर परिषद, दुमका।

निविदा की शर्तें :-


1. आवंटित वार्ड में सम्पूर्ण सफाई (दो पाली X7) की जिम्मेवारी एजेंसी की होगी।
2. प्रत्येक दिन वार्ड में सिटी/घंटी बजाकर प्रत्येक घर से कचरा को संग्रह करना अनिवार्य होगा।
3. चयनित एजेंसी को प्रतिदिन आवंटित वार्ड से सूखा एवं गीला कचड़ा Door to Door कचरा जमाकर उचित स्थान पर निष्पादित करना होगा।
4. प्रत्येक घर से 1.00 रु० तथा व्यवसायिक प्रतिष्ठान से 2.00 रु० प्रतिदिन की दर अथवा नगर परिषद द्वारा निर्धारित दर से राशि वसूल कर प्रत्येक माह कार्यालय में जमा करना होगा।
5. वार्ड क्षेत्र में किसी प्रकार का लावारिस लाश (आदमी/जानवर) को यथास्थान फेंकने/जलाने का कार्य करना होगा। इसके अतिरिक्त बड़ी नाली एवं छोटी नाली एवं बस स्टैंड (दोनों मुन्नालय की नियमित साफ-सफाई करनी होगी), कॉलोनी, सड़क की नियमित सफाई, सड़क किनारे सभी जंगल-झाड़ू को काटना अनिवार्य होगा। इसके लिए किसी भी प्रकार का अतिरिक्त शुल्क देय नहीं होगा। संबंधित वार्ड में पड़ने वाले पोखरा का पूर्ण एवं सभी सरकारी कार्यालय भवन के बाहरी एवं भीतरी परिसर की सफाई करना अनिवार्य होगा।
6. वार्ड में पड़ने वाले महापुरुषों के स्मारक की सफाई साप्ताहिक करना अनिवार्य होगा। विशेष अवसर पर कार्यालय से निदेश मिलने पर भी महापुरुषों के स्मारक की सफाई करना अनिवार्य होगा।
7. संबंधित वार्ड में चूना एवं ब्लीचिंग पाउडर का छिड़काव नाली एवं गंदगी वाला स्थल पर नियमित रूप से करेंगे।
8. सड़क के किनारे या नाली पर नागरिकों द्वारा कचड़ा/भवन निर्माण में लगने वाले सामग्री या फिर भवन निर्माण के क्रम में भवन निर्माण के बेकार सामग्री/बॉस/पंडाल सामग्री/ज्यादा मात्रा में गोबर तथा अन्य सामग्री की सफाई करनी होगी और कचरा फेंकने वाले से नगर परिषद द्वारा निर्धारित दण्ड शुल्क वसूली का कार्य निविदा दाता को करना होगा। दण्ड शुल्क वसूल कर नगर परिषद, कार्यालय में जमा करना होगा। दण्ड वसूली में आवश्यक पड़ने पर प्रशासनिक सहयोग मुहैया कराया जाएगा।
9. विशेष परिस्थिति यथा - किसी गणमान्य व्यक्ति के दुमका आगमन अथवा पर्व त्योहार के अवसर पर अथवा राष्ट्रीय पर्व के अवसर पर आवश्यकतानुसार मजदूरों एवं उपकरणों की संख्या बढ़ाना अनिवार्य होगा। इसके लिए अलग से कोई भुगतान देय नहीं होगा।
10. वार्डों में सफाई, जागरूकता अभियान विषय पर किये जाने वाले कार्य की विवरणी। विशेष परिस्थिति में यदि विभाग से सफाई संबंधी कोई आदेश निर्गत होता है तो उस परिस्थिति में जागरूकता अभियान या सफाई अभियान कार्यालय के निदेशानुसार चलाने की जिम्मेदारी निविदादाता की होगी।
11. 5,000.00 (पाँच हजार) रुपये का बैंक ड्राफ्ट कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद, दुमका के पदनाम से सुरक्षित राशि निविदा राशि के अलावा जमा करना होगा।
12. निविदा दाता दो लिफाफा कार्यालय में निर्धारित तिथि को उपलब्ध करायेगा। एक लिफाफा में सफाई सामग्री की पूर्ण विवरणी होगी। सभी सफाई मजदूरों का आधार कार्ड की छायाप्रति एवं फोटो (पासपोर्ट साईज) भी संलग्न करना होगा। सफाई सामग्री में ट्रैक्टर (रजिस्ट्रेशन पेपर अथवा भाड़ा का होने पर एकरारनामा की छायाप्रति), ठेला, धामा, कुदाल, गैती, खन्ती, स्वयं का है से संबंधित प्रमाण पत्र एवं प्रयुक्त होने वाले सभी सफाई उपकरण की संख्या उपलब्ध कराना होगा। JCB की जरूरत पड़ने संबंधित संवेदक उपलब्ध करायेगा इस आशय का शपथ-पत्र संलग्न करें। अगर किसी भी दिन किसी वजह से ट्रैक्टर उपलब्ध नहीं होने पर तत्काल वैकल्पिक व्यवस्था करना अनिवार्य होगा तथा दूसरा वित्तीय लिफाफा में सुरक्षित राशि 5,000.00 (पाँच हजार) रुपये लगाने संबंधी विवरणी का उल्लेख रहेगा।
13. आवेदक को परिचय पत्र (वोटर कार्ड/आधार कार्ड), पैन कार्ड, चरित्र प्रमाण पत्र एवं अद्यतन आयकर प्रमाण पत्र की छायाप्रति संलग्न करना होगा।

14. सफाई कार्य में शिथिलता होने पर अर्धदण्ड की कार्रवाई की जायेगी।
15. साफ-सफाई कार्य में किसी प्रकार का शिकायत होने पर राशि की कटौति करते हुए काली सूची में डाल दी जायेगी। साथ ही संबंधित व्यक्ति/फर्म/स्वयंसेवी संस्था निविदा में भाग लेने के योग्य नहीं होगा।
16. प्रत्येक घर से 1.00 रु0 तथा व्यवसायिक प्रतिष्ठान से 2.00 रु0 प्रतिदिन की दर अथवा नगर परिषद द्वारा निर्धारित दर से राशि वसूल कर प्रत्येक माह कार्यालय में जमा करना होगा। तत्पश्चात् निविदा के दर वार्ता में तय मासिक राशि का भुगतान होगा। अन्यथा ऐसा न करने पर भुगतान की जाने वाली राशि से कटौति की जायेगी।
17. सफाई करने के पश्चात् कार्य संतोषजनक होने पर नगर परिषद के संबंधित वार्ड के वार्ड पार्षद, उपाध्यक्ष एवं अध्यक्ष से संतुष्टि प्रमाण पत्र देने के पश्चात् ही मासिक विपत्र का भुगतान किया जायेगा।
18. प्रतिवार्ड प्रतिमाह मजदूरों का नाम माह के प्रारंभ में ही कार्यालय में जमा करना अनिवार्य होगा। विशेष परिस्थिति में सफाई कर्मियों के अनुपस्थित रहने पर उनके स्थान पर उचित संख्या में वैकल्पिक व्यवस्था के तहत मजदूर लगाना अनिवार्य होगा। अन्यथा सफाई कर्मियों की अनुपस्थिति में सफाई संबंधी किसी भी प्रकार की शिकायत प्राप्त होने पर भुगतान की जाने वाली राशि से कटौति की जायेगी।
19. बिना कोई कारण बताये निविदा का निष्पादन एवं निरस्त करने का अधिकार नगर परिषद के पास सुरक्षित रहेगा।
20. निविदादाता प्रतिवार्ड प्रति माह का दर अंकित करेंगे।
एजेंसी को किये गये कार्य का भुगतान अगले माह के 10 तारीख तक कार्य की समीक्षा के उपरांत आवंटन उपलब्ध रहने पर की जायेगी। कार्य संतोषप्रद नहीं पाये जाने की स्थिति में नगर परिषद किसी किसी भी प्रकार की कार्रवाई करने के लिए स्वतंत्र रहेगा।
21. यदि कोई निविदादाता कार्य छोड़ना चाहते हैं, तो उन्हें एक माह पूर्व कार्यालय को लिखित सूचना देना अनिवार्य होगा।
22. प्रकाशित निविदा (Re E.O.I.No- 02/18-19) के नियम एवं शर्तों से हम निवादादाता सहमत हैं इस आशय का शपथ-पत्र निविदादाता को निविदा के साथ संलग्न करना अनिवार्य है।
23. निविदा दाता एक बन्द लिफाफा कार्यालय में निर्धारित तिथि को उपलब्ध करायेगें (जिस पर गुप सं0 अंकित करना होगा)। बन्द लिफाफा के अंदर दो लिफाफा संलग्न करना है। एक लिफाफा के उपर (Technical) अंकित करते हुए निम्नलिखित कागजात संलग्न कराना है।
(a) (वोटर कार्ड/आधार कार्ड), (b) पैन कार्ड, (c) चरित्र प्रमाण पत्र (d) अद्यतन आयकर प्रमाण पत्र (e) क्र0सं0 22 में वर्णित नियम एवं शर्तों का शपथ पत्र (f) निविदा राशि 5,000/- (पांच हजार) रुपये का डी0डी0 जो वापस नहीं होगा कार्यपालक पदाधिकारी, दुमका नगर परिषद के पदनाम से संलग्न करना होगा।
दूसरे लिफाफे में (Financial) अंकित करते हुए निम्नलिखित कागजात संलग्न कराना है।
(a) सुरक्षित राशि 5,000.00 (पांच हजार) रुपये का डी0डी0 कार्यपालक पदाधिकारी, दुमका नगर परिषद के पदनाम से संलग्न करना होगा। (b) सफाई सामग्री की पूर्ण विवरणी होगी। (c) सभी सफाई मजदूरों का आधार कार्ड की छायाप्रति एवं फोटो (पासपोर्ट साईज) भी संलग्न करना होगा। (d) सफाई सामग्री में ट्रैक्टर (रजिस्ट्रेशन पेपर अथवा भाड़ा का होने पर एकरारनामा की छायाप्रति), टेला, धामा, कुदाल, गैती, खन्ती, स्वयं का है से संबंधित प्रमाण पत्र एवं प्रयुक्त होने वाले सभी सफाई उपकरण की संख्या उपलब्ध कराना होगा। (e) JCB की जरूरत पड़ने पर उपलब्ध करायेगें इस आशय का शपथ-पत्र संलग्न करें। अगर किसी भी दिन किसी वजह से ट्रैक्टर उपलब्ध नहीं होने पर तत्काल वैकल्पिक व्यवस्था करना अनिवार्य होगा।
24. निविदा की शर्तें कार्यालय के सूचनापट्ट पर तथा वेबसाईट - www.udhd.jahrkhand.gov.in/tender पर देखा जा सकता है।


 07-0678
 कार्यपालक पदाधिकारी,
 नगर परिषद, दुमका।


ज्ञापांक 993 / डी.एन.पी. दुमका, दिनांक 07/06/18

प्रतिलिपि:- विज्ञापन व्यवस्थापक, इंडियन पंच, श्वेत पत्र और प्रभात खबर, दुमका को सूचनार्थ। उक्त विज्ञापन का प्रकाशन दिनांक 08.06.2018 के दुमका संस्करण में न्यूनतम आकार में प्रकाशित करने का कष्ट करें।


 07-0678
 कार्यपालक पदाधिकारी,
 नगर परिषद, दुमका।

ज्ञापांक 993 / डी.एन.पी. दुमका, दिनांक 07/06/18

प्रतिलिपि:- अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष, नगर परिषद, दुमका को सूचनार्थ प्रेषित।


 07-0678
 कार्यपालक पदाधिकारी,
 नगर परिषद, दुमका।